नई रजिस्ट्रीकरण संख्या आंबटन के बाद हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012 की धारा (4) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का संशोधित–पत्र)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का संशोधित प्रमाण–पत्र

मै इसके द्वारा प्रमाणित करता हू कि रजिस्ट्रार फर्मज एण्ड सोसायटी, हरियाणा के पास दिनाक 26 अप्रैल 2001 को रजिस्ट्रीकृत/रजिस्ट्रीकरण संख्या 220 रजिस्ट्रीकृत लाला चेतराम तायल एजुकेशनल सोसायटी, गांव महराना गोहाना रोड पानीपत सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012(2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1) के अधीन दिनांक 31–12–2014 को नीचे यथा वर्णित अनुसार रजिस्ट्रीकृत संख्या आवंटित की गई है।

राज्य कोड		जिला कोड			रजिस्ट्रेशन का वर्ष				रजिस्ट्रीकरण संख्या				
एच0	आर0	पी0	एन0	पी0	2	0	1	4	0	0	2	0	9

सोसायटी का नाम	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
लाला चेतराम तायल एजुकेशनल सोसायटी	गांव महराना गोहाना रोड पानीपत

यह प्रमाण–पत्र दिनांक 31–12–2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

दिनांक–31–12–2014
स्टेशन– पानीपत

एस0एन0 सिंह
जिला रजिस्ट्रार फगर्ज एण्ड सोसायटी
पानीपत।

Scanned by CamScanner

①

लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी

ज्ञापन पत्र (भाग–क)

1 सोसाइटी का नाम : लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी।

2 सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय : गांव महराणा गोहाना रोड पानीपत

3 सोसाइटी का कार्यक्षेत्र : गांव महराणा आवश्यकता अनुसार हरियाणा राज्य ।

4 इस सोसाइटी के उदेश्य निम्नलिखित हैं–

1) इस सोसायटी का मुख्य उदेश्य समाज में शिक्षा को बढावा देने के लिए किया गया हैं। जो समाज में व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

2) यह सोसायटी वर्तमान समय में समाज में कम्पयूटर की मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कम्पयूटर शिक्षा फैलाने का कार्य करेगी।

3) यह सोसायटी समाज के उस वर्ग तक हर प्रकार की शिक्षा निःशुल्क व कम से कम दर पर जितना भी सम्भव हो सके, पहुचांने प्रयास करेगी । जो वर्ग गरीबी या अज्ञानता के कारण,या किसी भी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

4) यह सोसायटी साहित्यक, सांस्कृतिक,नैतिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रतियोगिता, शिक्षा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वार्षिक समारोह का प्रबन्ध करना ।

5) यह सोसायटी समाज के उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के युवक व युवतियों से प्राप्त फीस व फण्ड आदि से समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी।

6) यह सोसायटी समाज में शिक्षा को बढावा देने के लिए हर सम्भव कार्य करेगी जिसे समाज के लोंगों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो सकें।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Lala Chet Ram Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Poonam Tayal
Secretary

Scanned by CamScanner

7) यह सोसायटी आवश्यकता अनुसार हरियाणा के किसी भी शहर में प्रशिक्षिण संस्थान भी खोल सकती है ।

8) इस सोसायटी के उदेश्यो की पूर्ति को ध्यान में रखकर धन के लिए अपील जारी करना। चन्दा व दान के रूप में चल/अचल सम्पति,नगदी तथा सिक्योरिटी प्राप्त करना और सरकारी व गैर सरकारी सोसायटी के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

5. संगठन

इस सोसाइटी के संचालन और प्रबन्धन का सारा भार हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 2012 के अनुसार प्रबन्धन सोसाइटी के उपर होगा ।

6. **सोसाइटी की शर्ते:–**

1 सोसाइटी की सम्पति तथा आय सोसाइटी के हित के लिए खर्च होगी। इस सोसाइटी की राशी या सम्पति का कोई भी भाग बोनस या डिविडेन्ड के रूप में नही दिया जायेगा ।

2 सोसायटी के सभी सदस्य अवैतनिक होगें। कोई भी सदस्य वेतन नही लेगा। कार्यकारिणी या आम सभा का कोई भी सदस्य जो सोसाइटी के कार्य के लिए अपनी जेब कार्य खर्च करेगा वह राशी सोसाइटी की आय में से सदस्य को दी जायेगी । सोसाइटी के लिए किसी सदस्य से ली हुई राशी का ब्याज तथा मकान किराया जो सोसाइटी के प्रयोग के लिए होगा लिया गया हो वह सोसाइटी की आय में से देंगे ।

3 यदि सोसाइटी को कोई लाभ या आमदनी होगी तो वह राशी सोसाइटी के हित के लिए खर्च की जायेगी ।

4 किसी कारणवश सोसाइटी बन्द होने की स्थिति में आ जाती है तो सोसाइटी की जायदाद, लेनदारी तथा देनदारी का कोई व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नही होगा अपितु ऐसी स्थिति में किसी समान विचाराधारा वाली पंजीकृत सोसाइटी को सौंप दी जायेगी। संस्था/ट्रस्ट को उसका जिम्मा सौंप दिया जाएगा तथा सभी सदयो की सहमति से एक मत देने पर मातृ संस्था में विलय कर दिया जाऐ तथा इसके लिए सभी सदस्य बाध्य होंगे।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Lala Chet Ram Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier

Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

Scanned by CamScanner

समिति कार्यकारिणी की सूची वर्ष. ....

क्र0	सदस्य का नाम व पिता का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद संज्ञा	फोटो	ह0
1	श्री राम निवास गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण तायल	1818 न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी पानीपत	73	बिजनेस	संरक्षक		
2.	श्री रविन्द्र कुमार तायल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण तायल	317–आर माडल टाउन पानीपत	49	बिजनेस	प्रधान		
3	श्री राकेश मितल पुत्र श्री गंगा राम मित्तल.	बी–III –327 पश्चिम विहार नई दिल्ली।	45	बिजनेस	उप प्रधान		

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

President

Lala Chet Ram Tayal Educational Society PANIPAT-132103

Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Secretary

4	श्रीमति पूनम तायल पत्नी श्री रविन्द्र कुमार तायल	317–आर माडल टाउन पानीपत	47	अध्यापिका	सचिव		Poonam Tayal
5	श्री शोविक गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता	317–आर माडल टाउन पानीपत	28	बिजनेस	सहसचिव		
6	श्री पंकज बंसल पुत्र श्री रतन लाल बन्सल	365,सैक्टर 12 हुडडा पानीपत	38	बिजनेस	कोषाध्यक्ष		
7	श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री जितेन्द्र गुप्ता	318 एल माडल टाउन पानीपत	32	बिजनेस	आडिटर		
8	श्री अंकित तायल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार तायल	317–आर माडल टाउन पानीपत	24	अध्यापक	सदस्य	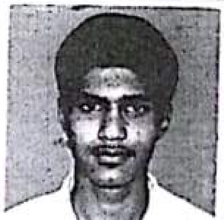	Ankit Tayal

हस्ताक्षरों का सत्यापन

Satpal Verma
Advocate
Distt. Courts Panipat

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Presid[ent]

Cashier

Tayal Educational Society PANIPAT-132103

Poonam Tayal

Secretary

Distt. Registrar of Firms & Societies PANIPAT

Scanned by CamScanner

सोसाइटी का संविधान भाग–ख

1 लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी एक ऐसी सोसाइटी है, जिसका गठन लाल चेत राम तायल पुत्र श्री फकीर चन्द की स्मृति में किया गया है । जिसका काम मुनाफा कमाना नही है। इसकी आय और सम्पति में ऐसे किसी व्यक्ति को नही दिया जा सकता जो सोसाइटी का सदस्य हो या ऐसे किसी सदस्य का उतराधिकारी हो । किन्तु किसी सदस्य या किसी व्यक्ति को सोसाइटी के हित में किये गये किसी कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक नही दिया जायेगा । सोसायटी के सभी निर्वाचित अधिकारी तथा सदस्य अवैतनिक है ।

2 प्रबन्धन सभा : कार्यकारिणी : –

लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसाइटी की कार्यकारिणी का कार्यकाल केवल 3 वर्ष तक होगा । कार्यकारिणी के सभी निर्वाचित पदाधिकारी और संदस्यगण अपने पदों पर केवल 3 वर्ष तक कार्य कर सकते है यदि इस निश्चित काल से पहले कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो वह पद सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा भर दिया जायेगा ।

3 कार्यक्षेत्रः–

लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी गांव महराणा जिला पानीपत व आवश्यकतानुसार हरियाणा राज्य में कार्य करेगी ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

President

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Secretary

4 परिभाषाः

सोसाइटी से हमारा तात्पर्य लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी पानीपत हरियाणा से है यहां सोसाइटी की जनरल बाडी से तात्पर्य लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी के प्रबन्धन क्षेत्र से है जो इनके सदस्यों द्वारा चुनी जाती है प्रबन्धन सोसाइटी में कुल 7 पदाधिकारी है और 1 कार्यकारिणी सदस्य है और आवश्यकता के अनुसार अन्य सदस्य प्रधान व सचिव की सलाह से मनोनित किये जा सकते है । कार्यकारिणी में अधिकतम सदस्य संख्या 21 होगी ।

5 पदाधिकारियों के पद निम्नलिखित है :–

1 सरंक्षक 2 प्रधान 3 उपप्रधान 4 सचिव 5 सहसचिव 6 कोषाध्यक्ष 7 आडिटर कार्याकारिणी 1 सदस्य है ।

6 लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी का कार्य केवल हिन्दी (देवनागरी लिपि) व अग्रेंजी में होगा जिसका प्रयोग लिखने, पढने व बोलने मे किया जाऐगा।

7 सदस्यः–

1) आयु कम से कम 21 वर्ष हो ।

2) वह व्यक्ति लाला चेत राम तायल के वंश व निकट सम्बन्धी से हो।

3) जिस व्यक्ति की सोसाइटी के दो आजीवन सदस्यों ने सिफारिश की हो।

4) जिस व्यक्ति ने सोसाइटी का निश्चित शुल्क दे दिया हो ।

5) जो व्यक्ति समय–2 पर प्रबन्धन सोसाइटी द्वारा निश्चित की गई योग्यताओं से परिपूर्ण हो ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Ramesh Ch. Tayal

President

PANIPAT-132103 • Lala Chet Ram Tayal Educational Society

Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Poonam Tayal

Secretary

Scanned by CamScanner

6) जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो । तथा वह किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो ।

7) वह नियमन सचिव को आवेदन करेगा तथा ऐसे सदस्यों के आवेदन अगली आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किये जाऐंगे । ऐसे सदस्यों की सदस्यता बारे आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा ।

8) सदस्यता शुल्क समिति के बैंक खाते में चैक/कैस द्वारा जमा करवाया जाएगा ।

8 सदस्यता शुल्कः—

सोसाइटी का आजीवन सदस्य बनने के लिए एकमुश्त 21000/—रूपये (इक्कीस हजार रूप्ये केवल) निश्चित किया गया है तथा साधारण सदस्यता बनने के लिए प्रवेश शुल्क 11000/—रूपये व तथा 2100/— रूपये सालाना जमा करवाने होंगे। तथा सन 2012 के अधिनियम लागू होने के बाद सभी पुराने आजीवन सदस्यों को 2100—2100 रूप्ये चैक/कैस द्वारा सोसायटी के खाते मे जमा करवाने होंगे।

9 सदस्यता का वर्गीकरण :—

1 आजीवन सदस्यः— सोसाइटी के आजीवन सदस्य वे व्यक्ति होगें जो सोसाइटी द्वारा आजीवन सदस्य के लिए तय शुल्क एक मुश्त अदा करेंगे और सोसाइटी के हित में कार्य करेगे।

2 साधारण सदस्यः— सोसाइटी के साधारण सदस्य वे होगे जो सालाना शुल्क अदा करके सदस्यता प्राप्त करेंगे सोसाइटी के हित में कार्य करेंगे।

3 सम्मानित सदस्यः— सम्मानित सदस्यों मे वे सदस्य शामिल होंगे जो तन—मन—धन से सोसाइटी के लिए कार्य करेंगे और हर प्रकार से सोसाइटी के हित की बात सोचेंगे व

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Lala Chet Ram Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

करेंगे तथा सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अहम योगदान देंगे। सम्मानित सदस्यों को वोट का अधिकार नही होगा ।

10 सदस्यता समाप्त करना ।

प्रबन्धन सोसाइटी को अधिकार है कि निम्नलिखित कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है ।

1 जब किसी सदस्य का देहान्त हो जाये ।

2 जब कोई सदस्य पागल हो जाये।

3 जब कोई सदस्य सदस्यता से स्वंय त्याग पत्र दे दे।

4 यदि प्रबन्धन सोसाइटी के 2/3 सदस्यों द्वारा यह निर्णय कर दिया जाये कि सदस्य सोसाइटी के विपरित कार्य कर रहा है ऐसी अवस्था में उस सदस्य को 15 दिन का कारण बताओं नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाऐगा जिसका उत्तर आने पर आम सभा द्वारा निर्णय किया जाऐगा ।

5 यदि कोई साधारण सदस्य सदस्यता शुल्क 3 महिने के अन्दर न दे ।

6 यदि कोई सदस्य सोसाइटी को छोडकर चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाऐगी। ऐसे सदस्य को भी पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा ।

7 जब कोई सदस्य पदाधिकारी किसी वितिंय अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाएगा तथा आवश्यक जाँच उपरान्त निर्णय लिया जाएगा ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

Lala Chet Ram Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier

Scanned by CamScanner

(9)

11 चुनाव :

कार्यकारिणी द्वारा आम सहमति से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ऐसे व्यक्ति से निष्पक्ष तथा स्वच्छ कार्य की अपेक्षा की जाएगी । चुनाव अधिकारी को कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सदस्यों की सूची अधिकारी को सोपेंगा। 3 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर मार्च महीने के अन्तिम सप्ताह में चुनाव कर दिया जायेगा । चुनाव में आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी सें ही चुने जा सकते है। जो व्यक्ति सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा, वही प्रबन्धन सोसाइटी के पद पर चुनाव लड सकता है। चुनाव सर्व सम्मति से बैलेट पेपर डालकर किया जायेगा। चुनाव के लिए सोसाइटी द्वारा एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा सोसाइटी की कार्यकारिणी का चुनाव सोसाइटी द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी अथवा जिला रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसाइटी द्वारा नियुक्त कर्मचारी की उपस्थिति में करवाया जाऐगा। चुनाव परिणाम की सूचना जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में 15 दिन के अन्दर अन्दर प्रस्तुत कर दी जाऐगी । जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरान्त नवगठित कार्यकारिणी अपना कार्य आरम्भ करेगी

12. क कोरमः–

किसी भी आम सभा की मीटिंग का कोरम 2/3 होगा यदि किसी कारण वश पहली मिटिंग में 2/3 सदस्यो की उपस्थिति न होने के कारण यदि कोरम पूरा नहीं होता तो ऐसी बैठक रदद समझी जाएगी ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

12 ख आम सभा की बैठक

1) जनरल बाडी की सभा का आयोजन वर्ष में एक बार होगा । यह बैठक मार्च के अन्तिम सप्ताह मे होगी ।

2) यह वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करेगी और वार्षिक आय और व्यय के बजट को चैक करेगी तथा स्वीकृत करेगी ।

3) यह आगामी वर्ष के लिए हिदायते जारी करेगी।

4) जब कभी जनरल बाडी की आपातकालीन सभा बुलानी हों तो उसके लिए प्रबन्धन सोसायटी के 1/2 से ज्यादा सदस्यो की लिखित रूप में स्वीकृति होनी चाहिए । ऐसी सभा बुलाने के लिए सूचना पत्र में सभा के कारण भी लिखे हुए होने चाहिए।

5) जिला रजिस्ट्रार को आम सभा की बैठक का ऐजैण्डा तथा कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रति बैठक सम्पन्न होने के 15 दिन के अन्दर–2 प्रेषित की जाऐगी

6) सोसायटी के अधीन सभी संस्थानों का प्रबन्ध करना।

13 सोसाइटी के अधिकार व कर्तव्य

क) जनरल बाडी (महासभा)

1) सोसाइटी के उदेश्यो अनुसार सभी अधिकार जनरल बाडी के पास रहेंगे ।

2) सोसाइटी के वार्षिक आय और व्यय का हिसाब पास किया जायेगा ।

3) सोसाइटी उदेश्य अनुसार कार्य करने की नीति को पास करेगी ।

4) जनरल बाडी के कुल सदस्यो मे से 1/3 सदस्य आपातकालीन बैठक बुला सकते है लेकिन ऐसी बैठक मे कोई भी नीतिगत निर्णय नही किया जा सकता।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

President

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Secretary President

Scanned by CamScanner

5) जनरल बाडी के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रबन्धन समिति के कर्तव्य व अधिकारो को बढाया या घटाया जा सकता हैं। ऐसे संशोधन की पुष्टि जिला रजिस्ट्रार से 30 दिन के अन्दर–2 करवाई जायेगी । जिला रजिस्ट्रार की पुष्टि के पश्चात ही संशोधन लागू समझा जाएगा ।

6) सोसाइटी के 2/3 सदस्यो के बहुमत से प्रबन्धन समिति को समाप्त किया जा सकता है और दोबारा चुनाव करवाया जा सकता हैं ।

7) जनरल बाडी सोसाइटी के निश्चित उदेश्यो एवं प्रस्ताव के अतिरिक्त यदि किसी विषय पर विचार करना चाहती है तो प्रधान की आज्ञानुसार विचार विमर्श कर सकती है ।

8) सोसाइटी संविधान में किसी प्रकार के संशोधन बारे चर्चा करके स्वीकृत करना !

ख) प्रबन्धन सोसायटी

1) सोसाइटी के सभी शासन सम्बन्धी अधिकार प्रबन्धन सोसायटी के पास रहेंगे ।

2) जनरल बाडी के लिए सभी प्रस्ताव प्रबन्धन सोसायटी द्वारा तैयार किये जायेंगे ।

3) यदि प्रबन्धन सोसायटी का कोई सदस्य या पदाधिकारी लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित रहा हो तो प्रबन्धन सोसायटी को यह अधिकार है कि वह उसको हटा कर कार्यभार किसी अन्य सदस्य को नियुक्त करके उसको सम्भाल दें । इसकी पुष्टि आम सोसाइटी की बैठक में करवाई जाऐगी ।

4) सोसाइटी का वार्षिक बजट पर विचार विमर्श व तैयार करनां, आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

For Lala Chet Ram Jayal Educational Soc.

Secretary

5) निश्चित प्रस्तावों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य विषय पर विचार करना हो तो प्रधान के निर्देशानुसार इस विषय पर विचार विमर्श कर सकती है ।

6) सोसाइटी के उदेश्यानुसार कार्य करने की नीति तैयार करने का अधिकार प्रबन्धन सोसायटी को है ।

7) कार्यकारिणी की बैठक हर 4 माह बाद आयोजित की जाएगी ।

14 प्रबन्धन सोसाइटी के पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारः

1 संरक्षक

इस सोसाइटी में एक पद संरक्षक का बनाया गया है। जिनका कार्य हमारी शिक्षा सोसायटी व इसके सदस्यों को समय समय पर सही निर्देष देना तथा सोसायटी द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के कार्यकमों का संरक्षण प्रदान करना होगा।

2 प्रधान

1) प्रबन्धन सोसायटी या जनरल बाडी की बैठक की प्रधानता प्रबन्धन सोसायटी का प्रधान करेगा।

2) प्रधान को अधिकार है कि जब किसी विषय पर निर्णय के लिये मत पड जाये और दोनों तरफ बराबर मत हो तो प्रधान का मत वोट निर्णायक होगा ।

3) जब किसी प्रबन्धन सोसायटी में किसी प्रकार की गडबड हो जाये तो प्रधान की व्याख्या अन्तिम निर्णय होगा जो सबको स्वीकार होगा ।

4) प्रधान को अधिकार है कि बैठक का कार्य निश्चित समय पर शुरू करे और समाप्त करे।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

5) प्रबन्धन सोसायटी के प्रधान को अधिकार है कि जब भी वह चाहे वह स्वयं अथवा सचिव द्वारा सोसाइटी या जनरल बाडी की बैठक 15 दिन के नोटिस पर बुला सकता है।

6) यदि प्रबन्धन सोसाइटी का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तो वह स्वयं जनरल बाडी की सभा बुलाकर 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रबन्धन समिति को समाप्त कर सकता है ।

7) यदि प्रबन्धन सोसायटी में किसी प्रकार की गडबड चल रही हो और प्रबन्धन सोसायटी के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत प्रधान को लिखकर दे कि प्रबन्धन सोसायटी सही कार्य नही कर रही है। तो ऐसी अवस्था मे प्रधान अपने विशेष अधिकार प्रयोग करते हुए कार्यकारिणी को भंग करके, नियमानुसार आम समिति की बैठक बुला सकता है तथा इस विषय में आवश्यक निर्णय ले सकता है ।

9) प्रधान प्रबन्धन सोसायटी में 100000/– रूपये तक व्यय कर सकता है लेकिन प्रबन्धन सोसायटी की आगामी बैठक में उस व्यय को पास करवाना होगा ।

3 उपप्रधान

इस सोसायटी मे एक पद उपप्रधान का बनाया गया है। जो सोसायटी के हर प्रकार के कार्यो मे प्रधान का सहयोग करेगा। और प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के सभी अधिकारो व कर्तव्यों को पूरा करेगा। तथा समय समय पर प्रबन्धन समिति द्वारा दिये गये कार्यो को पूरा करेगा।

4 सचिव

1) सोसाइटी के उदेश्यो के अनुसार सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के कार्यक्रम का प्रबन्ध करेगा।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
President

Tayal Educational Society PANIPAT-132103
Cashier For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.
Secretary

Scanned by CamScanner

2) जनरल बाडी अथवा प्रबन्धक समिति की सोसाइटी के लिए प्रस्ताव तैयार करना। तथा बैठक आयोजित करवाने हेतू आवश्यक व्यवस्था करना ।

3) सचिव स्वंय अथवा प्रधान के निर्देशो के अनुसार प्रबन्धन समिति तथा जनरल बाडी की सोसाइटी में पूर्व वर्ष की आय और व्यय की रिपोर्ट तैयार करना ।

4) आगामी वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करना व पेश करना ।

5) जनरल बाडी की वार्षिक सोसाइटी से पूर्व वर्ष की आय और व्यय की रिपोर्ट देना ।

6) सोसाइटी की तरफ से सचिव जनता,अन्य संगठनों और सरकार आदि से जो अनुदान प्राप्त करे सोसाइटी की तरफ से रसीद काट कर दें। परन्तु वह धनराशि 48 घण्टे के अन्दर ही कोषाध्यक्ष को देनी होगी। और प्रबन्धन समिति की आगामी बैठक में इसकी सूचना देनी होगी ।

7) जब कभी भारत सरकार व राज्य सरकार अथवा किसी सोसाइटी से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करनी हों तो प्रबन्धन समिति की बैठक बुलाकर विचार–विमर्श करके प्रस्ताव पास करवाये।

8) सोसाइटी की तरफ से सचिव को अधिकार है कि वह सोसाइटी के किसी झगड़े को कोर्ट मे दायर करें लेकिन मुकदमा दायर करने से पहले समिति से स्वीकृति लेनी होगी।

5 सहसचिव

इस सोसायटी में एक पद सहसचिव का बनाया गया है जो सोसायटी के हर प्रकार के कार्यो में सचिव का सहयोग करेगा और सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के सभी अधिकारों व कृतव्यो को पूरा करेंगा ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

President

Lala Chet Ram Tayal Educational Society

Cashier

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Secretary

Scanned by CamScanner

15 विधान मे संशोधन करना

1) विधान मे संशोधन सोसाइटी के प्रस्ताव पर आम समिति के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है।

2) सविंधान में संशोधन बारे एजेन्डा समिति के सभी सदस्यों को बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप में भेजना होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन आम समिति द्वारा आम बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टी जिला रजिस्ट्रार से करवाई जानी अनिवार्य है । अन्यथा ऐसा संशोधन लागू नही समझा जाऐगा ।

16 सोसाइटी का निपटान

किसी कारणवंश इस सोसाइटी के बन्द होने की स्थिति मे सोसाइटी की जायदाद, लेनदारी व देनदारी का कार्य किसी एक व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप में जिम्मेवार नहीं होगा अपितू किसी स्थिति में इस सोसाइटी की अचल व चल सम्पति को किसी समान विचाराधारा वाली रजिस्टर्ड सोसायटी को सौंप दी जायेगा।

17 वार्षिक विवरणी,तुलना पत्र

सोसाइटी अधिनियम 2012 के अनुसार अपनी कार्यकारिणी की सूची सी.ए. द्वारा ऑडिटिड बैलंस शीट प्रतिवर्ष जिला रजिस्ट्रार को नियमित रूप से हर वर्ष प्रस्तुत करेंगी ।

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

President

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

Secretary

(17)

18 अन्य मामले:–

1) अन्य मामले जिनका उल्लेख ऊपर नही किया जा सका वह सभी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 (हरियाणा) के अनुसार लागू होंगे ।

2) सोसाइटी की आम समिति की बैठक जिला रजिस्ट्रार या उनके प्रतिनिधि के देख रेख में सम्पन्न करवाई जायेंगी। हम प्रमाणित करते है कि यह लाला चेत राम तायल ऐजूकेशनल सोसायटी सविधान की सत्य प्रतिलिपि है ।

गवाहन: 1 नाम जितेन्द्र तायल पिता का नाम श्री लक्ष्मी नारायण
पूरा पता 312-एल मॉडल टाउन पानीपत
मो0 नम्बर0 98120-51064 हस्ताक्षर........................

2 नाम नरेन्द्र शर्मा पिता का नाम श्री हरि चन्द्र शर्मा
पूरा पता गाँव उरलाना कलां जि0 पानीपत
मो0 नम्बर 9896203801 हस्ताक्षर (signature)

For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc. For Lala Chet Ram Tayal Educational Soc.

(signature) (signature) Poonam Tayal

प्रधान President सचिव Secretary

(Stamp: Lala Chet Ram Tayal Educational Society, PANIPAT-132103) कोषाध्यक्ष Cashier

Distt. Registrar, Firms & Societies
PANIPAT